(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 181 / 2022

पंजीकरण संख्या :– 2022 / 135

बउनवान

1– भूलीबाई आयु 63 वर्ष पुत्री गोपाल जाति मेघवाल निवासी तूमडा तहसील छीपाबडौद जिला बारां
2–नटीबाई आयु 62वर्ष पुत्री गोपाल जाति मेघवाल निवासी तूमडा तहसील छीपाबडौद जिला बारां
3–कन्याबाई आयु 54वर्ष पुत्री गोपाल जाति मेघवाल निवासी तूमडा तहसील छीपाबडौद जिला बारां
4– प्रकाशबाई आयु 53वर्ष पुत्री गोपाल जाति मेघवाल निवासी तूमडा तहसील छीपाबडौद जिला बारां

(अपीलांटगण)

बनाम

1. रामलाल पुत्र गोपाल जाति मेघवाल निवासी तूमडा तहसील छीपाबडौद जिला बारां
2. रामचंद्र पुत्र गोपाल जाति मेघवाल निवासी तूमडा तहसील छीपाबडौद जिला बारां
3. रामराज पुत्र गोपाल जाति मेघवाल निवासी तूमडा तहसील छीपाबडौद जिला बारां
4. भंवरीबाई पुत्री गोपाल जाति मेघवाल निवासी तूमडा तहसील छीपाबडौद जिला बारां
5. रूपाबाई पुत्री गोपाल जाति मेघवाल निवासी तूमडा तहसील छीपाबडौद जिला बारां
6. रामप्रताप पुत्र नंदकिशोर जाति मेघवाल निवासी तूमडा तहसील छीपाबडौद जिला बारां
7. रामनारायण पुत्र नंदकिशोर जाति मेघवाल निवासी तूमडा तहसील छीपाबडौद जिला बारां
8. राधाकिशन पुत्र नंदकिशोर जाति मेघवाल निवासी तूमडा तहसील छीपाबडौद जिला बारां
9. कंचनबाई पुत्री नंदकिशोर जाति मेघवाल निवासी तूमडा तहसील छीपाबडौद जिला बारां
10. अयोध्याबाई पुत्री नंदकिशोर जाति मेघवाल निवासी तूमडा तहसील छीपाबडौद जिला बारां
11. ग्यारसीबाई बेवा नंदकिशोर जाति मेघवाल निवासी तूमडा तहसील छीपाबडौद जिला बारां
12. दरयाव बाई पत्नी मथुरालाल जाति बैरवा निवासी बिलेण्डी तहसील छीपाबडौद जिला बारां
13. कल्याणी पत्नी सीताराम जाति चमार निवासी भटगांव तहसील छीपाबडौद जिला बारां
14. नटीबाई पत्नी रामनाथ मेघवाल निवासी तूमडा तहसील छीपाबडौद जिला बारां
15. शाखा प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा छीपाबडौद जिला बारां
16. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा छीपाबडौद जिला बारां
17. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबडौद जिला बारां

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार, छीपाबडौद द्वारा खोले गये इंतकाल नं. 280 दिनांक 07.09.1998 वाके ग्राम तूमडा तहसील छीपाबडौद अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र सिंह हाडा अभिभाषक (अपीलांटगण)
2– अनुपस्थित (रेस्पोडेन्ट क्र.1 ता 11 एवं 13,14,16)
3– श्री बालमुकन्द गुर्जर अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट क्र. 12)
4– श्री रमेश गोयल अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट क्र. 15)
5– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट क्र. 17)

निर्णय दिनांक 31.05.2024

अपीलांटगण द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के द्वारा खोले गये इंतकाल नं. 280 दिनांक 07.09.1998 वाके ग्राम तूमडा तहसील छीपाबड़ौद से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट [illegible] न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.06.06 12:50:45 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांटगण द्वारा [illegible] 2022 को [illegible] रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। [illegible] रेस्पोडेन्ट क्रम 12 की ओर से श्री बालमुकन्द गुर्जर अभिभाषक एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 15 की ओर से श्री रमेश गोयल [illegible] द्वारा उपस्थिति दी गई। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 11 एवं 13 [illegible] 16 बावजूद सूचना के [illegible] न्यायालय में अनुपस्थित रहे है। रेस्पोडेन्ट क्रम 17 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण में रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक द्वारा जवाब / लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद से इंतकाल की प्रमाणित प्रति तलब की गई, जो प्राप्त नही होने पर प्रकरण में अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत इंतकाल की प्रमाणित प्रति को ही आधार मानकर सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर बहस सुनी गई। इसके पश्चात् विस्तृत बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस अपील मेमो के तथ्यो को दौहराते हुये कहा गया कि अपीलांट के पिता श्री गोपाल पुत्र भैरू जाति चमार निवासी तूमडा तहसील छीपाबडौद जिला बारां राजस्थान के सहखातेदारी की आराजी खसरा नंबर 17 रकबा 19 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 17/415 रकबा 5 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 289 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 384 रकबा 44 बीघा 19 बिस्वा किता 4 रकबा 74 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम तूमडा तहसील छीपाबडौद जिला बारां में स्थित थी जिसमें अपीलांट के पिता श्री गोपाल का 1/2 हिस्सा दर्ज जमाबंदी चला आ रहा था। अपीलांट के पिता श्री गोपाल का स्वर्गवास होने पर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 5 ने राजस्व कर्मचारियों से साज करके अपीलांटस के पिता गोपाल का इंतकाल संख्या 280 ग्राम तूमडा निर्णित करवा लिया। उक्त इंतकाल संख्या 280 ग्राम तूमडा निम्न आधारों पर निरस्त किए जाने योग्य हैः–

1. अपीलांट के पिता गोपाल के रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 5 के अतिरिक्त अन्य वारिस अपीलांट्स पुत्रियां थी लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा इंतकाल के सजरे में अपीलांट्स का नाम हीं दर्ज नहीं किया और बिना किसी जांच पड़ताल के रेस्पोडेन्ट क्रम 17 ने समस्या समाधान शिविर के अंतर्गत उक्त इंतकाल संख्या 280 निर्णित करने में भारी भूल की है।
2. रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 5 ने अपीलांट्स को उनके हक व हिस्से की आराजियाता से महरूम करने के आशय से राजस्व कर्मचारियों से साज करके अपीलांट्स को पैतृक जायदाद से वंचित करने के आशय से इंतकाल संख्या 280 निर्णित करवाया है जो प्रथम दृष्टया हीं काबिल खारिजी है।
3. रेस्पोडेन्ट क्रम 17 ने मृतक खातेदार गोपाल के वारिसान की न तो जांच की और न हीं अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किया।
4. उक्त इंतकाल संख्या 280 ग्राम तूमडा तहसील छीपाबडौद का सर्वप्रथम अपीलांट्स को ज्ञान दिनांक 04.04.2022 को जब अपीलांट्स अपने खातेदारी की आराजीयात की नकलें लेने पटवारी हल्का गोरधनपुरा के पास गये तो पटवारी हल्का गोरधनपुरा ने अपीलांट्स को बताया कि उनका नाम तो राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है। इस पर अपीलांट्स ने इंतकाल संख्या 280 की नकल लेने हेतु आवेदन दिनांक 04.04.2022 को प्रस्तुत किया जिस पर अपीलांट्स को दिनांक 04.04.2022 को नकल प्राप्त हुई। इसलिए जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य स्वीकार फरमाई जावे तथा अपील की प्रस्तुति में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट अलग से पेश है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर इंतकाल संख्या 280 ग्राम तूमडा निरस्त किया जाकर मृतक खातेदार श्री गोपाल पुत्र भैरू जाति चमार निवासी तूमडा तहसील छीपाबडौद जिला बारां का फौती इंतकाल अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 5 के पक्ष में खोले जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट क्रम 12 के अभिभाषक द्वारा लिखित बहस में अंकित कथनों को दोहराते हुए कहा गया कि अपीलांटगण द्वारा मिथ्या आधारों पर अपील पेश की है, जो निरस्तनीय है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा जो इंतकाल खोला गया था, वह नियमानुसार पूर्ण जांच–पड़ताल कर विधिसम्मत तरीके से राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया गया था। रेस्पोडेन्ट क्रम 12 द्वारा नामांतरकरण नं. 678 दिनांक 20.08.2019 से गोपालीबाई से जरिये विक्रय पत्र 1/10 हिस्सा खरीदा गया था। जो [illegible] बाद से काबिज काश्त है। प्रस्तुत की गई अपील मियाद बाहर व विधिसम्मत नहीं [illegible] से खारिज फरमाई जावे। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा 25 वर्ष की देरी से अपील प्रस्तुत [illegible] है जिसका कोई उचित कारण भी नहीं दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.06.06 12:30:45 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्ट क्रम 15 के अभिभाषक द्वारा जवाब में अंकित कथनों को दोहराते हुए कहा गया कि ग्राम तूमडा तहसील छीपाबडौद का खतोनी संख्या नई 116 खसरा नं. 384 रकबा 44.19 बिस्वा की खातेदार राधाकिशन, अयोध्याबाई, रामप्रताप, कंचनबाई ने नामांतरकरण संख्या 526, 542, 543 से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा छीपाबडौद के पास रहन रख कर ऋण प्राप्त किया है। इसी प्रकार नामांतरकरण संख्या 554 दिनांक 13.08.2013 से भी खातेदार रामनारायण व ग्यारसी बाई ने उनके हिस्से को बैंक के पास रहन रखकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ऋण प्राप्त किया है। यदि इस अपील में न्यायालय खातेदारान की स्थिति में परिवर्तन

करना उचित माने तो जो भी खातेदार बने उनसे बैंक द्वारा दिए गए ऋण को वसूल करने का हक बैंक को दिया जावे। खाते में बैंक ऋण का नोट जो भी नया खातेदार बने, उसके खिलाफ दर्ज करने का आदेश दिया जावे। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा 25 वर्ष की देरी से अपील प्रस्तुत की गई है जिसका कोई उचित कारण भी नहीं दिया गया।

प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया तथा अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत फर्द दस्तावेज पर मनन किया। अपीलान्टगण द्वारा अपील इंतकाल नम्बर 280 दिनांक 07.09.1998 वाके ग्राम तूमडा तहसील छीपाबडौद के विरूद्व 25 वर्ष बाद दिनांक 26.04.2022 को काफी विलम्ब से पेश की गई है। इसमे अपीलार्थी की लापरवाही ही दृष्टिगोचर होती है। लापरवाह पक्षकार के प्रति नरमी का रूख नही अपनाया जा सकता। अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी के प्रत्येक दिन का युक्तियुक्त एवं समुचित कारण बताया जाना आवश्यक है।

न्यायिक दृष्टान्तों WLC 2012 (1) पेज 759, WLC 2012 (4) पेज 163, WLC (राज) U.C. 2000 पेज 638 तथा RLW 1978 पेज 151 मे प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार अपीलार्थी अपनी अपील के प्रति सजग नही रहा है एवं अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी का कोई समुचित कारण नही बता पाया है। जिससे अपील प्रस्तुत करने मे हुई 25 वर्ष की देरी को माफ नही किया जा सकता है एवं धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य होने से हम यह अपील खारिज करना उचित समझते है। अतः यह धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तदनुसार यह अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **31.05.2024** को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.06.06 12:00:45 IST
Reason: SelfAttested